न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामा जिला भरतपुर
व इजलाश श्री विनोद कुमार मीणा आर0ए0एस उपखण्ड अधिकारी कामां
मुकदमा नं0 22/19

1–गुलाब पुत्र रामसिंह जाति मीना निवासी ग्राम इन्द्रोली तहसील कामां

वादी

बनाम

1–प्रबन्धक, स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा कामां (एस0बी0बी0जे0)

1–तहसीलदार कामां

प्रतिवादी

फोरमल प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88–89, 188

उपस्थित अधिवक्ता
श्री अमित कुमार शर्मा वादी

निर्णय

दिनांकः 10.03.2021

वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा88, 89, 188 के तहत प्रस्तुत किया कि आराजी खाता संख्या 151 के खसरा नम्बान 260/0.60, 263/0.39, 264/0.71, 904/262/0.100 किता 4 रकवा 20.70 हैक्टर का 1/2 हिस्सा, खाता सख्या 152 के खसरा नम्बरान 203/0.25, 209/0.28, 212/0.56, किता 3 रकवा 1.09 हैक्टर का पूर्ण हिस्सा खाता संख्या 153 के खसरा नम्बरान 337/0.58, 374/0.48 किता 2 रकवा 1.06 का 1/2 हिस्सा खाता संख्या 361 का खसरा नम्बर 55/0.65 किता 1 रकवा 0.65 का 1/2 हिस्सा वाके मौजा इन्द्रोली तहसील कामां वादी के कब्जे काश्त की आराजी है । आज भी वादी वहैसियत खातेदार काबिज रहकर काश्त कर रहा है । प्रतिवादी नं0 1 जिसका नाम पहले एस0बी0बी0जे शाखा कामां था से ऋण लिया था। जिसमें वादी की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के वजह से एवं फसल हल्की होने की वजह से वादी उस वक्त बैंक का कर्जा अदा नहीं कर सका था । जिसकी वजह से वादी को बिना सुने एवं बिना किसी इल्म बैंक ने आराजी अपने नाम करा ली । जिसके बाद दिनांक 14.8.2017 को प्रतिवादी सं0 1 असल रकम अदा कर दी तथा नो डयुज ले लिया । जिसकी प्रति सलग्न है । इस प्रकार बैंक का कोई पैसा वादी पर बकाया नही है । दिनांक 14.05.2019 को प्रतिवादी नं0 1 से आराजी अपने नाम कराने बावत कहा तो फटकार कर भगा दिया । कहा कि आराजी हमारे नाम है । हम चाहे बेच सकते है। अगर प्रतिवादी अपने धमकी भरे इरादे में कामयाब हो गया तो वादी को विधि वजह अपरमित क्षति होगी । जिसकी क्षतिपूर्ति जर्रे नकद नहीं की जा सकेगी । प्रतिवादीनं0 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि आराजी मुत0 को रहनवय मुन्तकिल व राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार परिवर्तन नहीं करें । ऐसा कोई कार्य नहीं कि जिससे वादी के अधिकारोंपर कुठाराघात पहुचे । अतः आराजी मुतदाविया पर गलत इन्द्राज को कलमजन

Scanned with CamScanner

किया जाकर वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी काश्तकारी किये जाने के आदेश फरमाये जावे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी नं0 1 की ओर प्रबन्धक स्टेट बैंक शाखा कामां उपस्थित आये । जबाव पेश किया कि वादी ने दिनांक 14.8.2017 को अपना पूरा लोन शाखा कामां में जमा करा दिया है । अगर इनके नाम खातेदार की जाती है तो बैंक को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है । वादी के नाम खातेदारी करने की कृपा करें ।

वादी अधिवक्ता ने अपने दावे को साबित करने के लिए नकल जमाबन्दी सं0 2068–71, नकल जमाबन्दी 2048–2051, 2052–55, 2064–2067, नो डयुज दिनांक 14.8. 2017, रसीद जमा दिनांक 14.8.2017 दिनांक 14.8.2017, रसीद जमा दिनांक 14.8.2017 पेश किये हैं ।

वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दावा, प्रतिवादी के जबाव वादी द्वारा पेश दस्तावेजी साक्ष्य व लिखित बहस का अवलोकन कर निष्कर्ष यह है कि वादी द्वारा प्रतिवादी नं01 प्रबन्धक स्टेट बैंक शाखा कामां से ऋृण लिया गया था, लेकिन वादी द्वारा ऋृण का भुगतान नहीं करने के कारण रहन रखी गयी भूमि प्रतिवादी नं0 1 के नाम दर्ज की गयी । वर्तमान में भूमि प्रतिवादी 1 के नाम दर्ज रिकार्ड है । जो कि विवादित भूमि की जमाबन्दी प्रदर्श 1;2,5 व ,6 से साबित है । प्रतिवादी नं0 1 के नाम दर्ज होने से पूर्व विवादित भूमि वादी के नाम दर्ज रिकार्ड थी । जो कि प्रदर्श 3 व 4 से साबित है । प्रदर्श 5 व 6 जमाबन्दी सं0 2064 –2067 में इन्तकाल नं0 1311 आदेश दिनांक 7.12.2007 के द्वारा भूमि प्रतिवादी 1 के नाम दर्ज की गयी । जमाबन्दी के नोट में अंकित आदेश दिनांक 7.12.2007 के बिना न्यायालय द्वारा विवादित भूमि वादीगण से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज किस प्रकार की गई तय नहीं किया जा सकता । एवं विवादित भूमि वादीगण से प्रतिवादी को कैसे दर्ज रिकार्ड की गयी । इस तथ्य के विनिश्चय के पश्चात ही वादी के दावे को डिक्री किया जा सकता है ।

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा स्वयं उपस्थित आकर जबाव पेश किया गया । प्रतिवादी द्वारा न तो जरिये वकील जबाव दिया गया न कि प्रतिवादी द्वारा स्वयं की न्यायालय में पहचान कराई गई ।

अतः उपरोक्त विवेचन के मध्यनजर वादी का दावा साक्ष्य के अभाव में खारिज किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 10.03.2021 को खुले न्यायालय पढकर सुनाया गया । पत्रावली बाद तकमील तामील दाखिल दफतर हो ।

(विनोद कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कामां (भरतपुर

Scanned with CamScanner